

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 229265/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 31 जुलाई, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पशुचिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित पशुचिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा०मालिनी पंत, पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुचिकित्सालय ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	पशुचिकित्सालय बासोट, अल्मोड़ा	पारस्परिक आधार पर
2	डा०पंकज गुणवन्त, पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुचिकित्सालय बासोट, अल्मोड़ा	पशुचिकित्सालय ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	

सम्बन्धित अधिकारी नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।

संख्या 2533/स्था०एक/वा०स्थाना०(प०चि०अ०)/2024-25

दिनांक 21 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा०मंत्री जी, पशुपालन उत्तराखण्ड सरकार को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल (हल्द्वानी), नैनीताल।
- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।